

**न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, कैम्प गंगरार****पीठासीन अधिकारी - विनोद कुमार मल्हौत्रा (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 040/2025(रा.अ.) (GCMS 2025/41)	दायर दिनांक 15.09.2025	निर्णय दिनांक 13.04.2026
--	---------------------------	-----------------------------

**अनवान**

- 1 लोकपालसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी डेट तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
  - 2 विरेन्द्रसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी डेट तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
- मृतक के बजाय :-**
- 2/1 सुश्री रिद्धि कंवर पुत्री विरेन्द्रसिंह राजपूत उम्र 17 वर्ष निवासी डेट तहसील गंगरार ना0बा0ब0वि0 काका लोकपाल सिंह पिता किशनसिंह निवासी डेट तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

**अपीलार्थीगण****बनाम**

- 1 सुरेन्द्रसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी डेट तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
- 2 तेजसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी डेट तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
- 3 सम्पत कंवर पत्नी किशनसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी डेट तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
- 4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

**प्रत्यर्थीगण**

उपस्थिति :- विठ्ठल प्रसाद शर्मा

अपीलार्थीगण

**अपील विरुद्ध निर्णय नामान्तरकरण संख्या 105 मौजा डेट तहसील गंगरार  
फैसल दिनांक 03.05.1993**

**--:: निर्णय ::--**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने विरुद्ध प्रत्यर्थीगण के अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम डेट पटवार हल्का सुवानिया तहसील गंगरार के इन्तकाल नंबर 105 दिनांक 03.05.1993 निर्णित किया। अधीनस्थ न्यायालय



द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुने, बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये एक तरफा नामान्तरकरण दायर किया जाकर निर्णय पारित किया गया, जो निरस्त योग्य है।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.01.2026 प्रत्यर्थीगण संख्या 2 व 3 हाजिर आये एवं प्रकरण में लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं कर मौखिक तौर पर अपील में वर्णित तथ्यों का स्वीकार किया। प्रकरण में दिनांक 16.02.2026 को प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सहमति का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में बहस पत्रावली सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि निर्णय दिनांक 03.05.1993 को होना बताया गया है जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी को दिनांक 11.09.2025 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर अपीलार्थी ने नकल आवेदन प्रस्तुत कर नामान्तरकरण आदेश की नकल प्राप्त की एवं वैधानिक सलाह लेकर यह अपील प्रस्तुत की जो 30 दिन की अवधि में है। इस कारण न्यायालय में अपील प्रस्तुत है और अपील पेश करने में हुई देरी नामान्तरकरण आदेश की दिनांक से अपील पेश करने तक की अवधि को जानकारी के अभाव में क्षम्य फरमाया जावे। इसी आशय का अपीलार्थी द्वारा सच्चा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना-पत्र का चिंतन-मनन किया। विभिन्न उच्च न्यायालयों प्रतिपादित किया गया है कि मियाद के बिन्दु को उदारता पूर्वक देखा जाकर प्रकरण का निस्तारण तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिये, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी प्रस्तुती में हुये समस्त विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित प्रतीत होता है, तदनुसार अपीलार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है एवं अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि मौजा डेट तहसील गंगारार के खातेदार किशनसिंह पिता अजेसिंह राजपूत निवासी डेट की मृत्यु होने पर उनकी विरासतन नामान्तरकरण मौजा डेट की कृषि आराजीयात के संबंध में खोला गया। पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तरकरण भरा गया वो गलत तरीके से भरा गया तथा अपीलार्थीगण के नाम पते की सही तरीके से तहकीकात नहीं की गई अपीलार्थीगण को वास्तविक व सही नाम विरेन्द्रसिंह व लोकपालसिंह है लेकिन पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण भरते समय अपीलार्थीगण का नाम विरेन्द्रसिंह के बजाय छोटूसिंह एवं लोकपालसिंह के बजाय लोकपालसिंह अपनी मनमर्जी से लिखा कर नामान्तरकरण भर दिया तथा भू0अ0नि0 द्वारा भी सही तरीके से जांच नहीं गई तथा



तहसीलदार गंगरार द्वारा भी नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व मृतक किशनसिंह के वारिसान के नाम पते सही तरीके से जांच किये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। जिसमें अपीलार्थीगण का नाम राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिपूर्ण व गलत अंकित हो गया है, जिसे शुद्ध कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, अन्त में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 105 दिनांक 03.05.1993 मौजा डेट पटवार हल्का सुवानिया तहसील गंगरार में अपीलार्थीगण का नाम सही-सही अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस समाप्त की। पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया।

हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि - “अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगरार द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 105 मौजा डेट पटवार हल्का सुवानिया निर्णय दिनांक 03.05.1993 विधि अनुसार निर्णित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा ?”

नामान्तरकरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121 के प्रावधान लागू होते हैं, जो कि इस प्रकार है-

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land the caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance, the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.

### 131. The scope of Mutations.-

- (i) The status of an estate-holder or a tenant cannot be altered except:—
- by agreement of all the parties interested: or
  - in consequence of a decree or order which is binding upon them, or
  - in accordance with facts proved or admitted to have occurred under the relevant provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.



(ii) In cases of inheritance a summary inquiry into the title is necessary. Where it is claimed that property devolves by reason of will, this should be treated as a case of succession by inheritance and the inquiry will include an enquiry into the validity of the will.

उक्त नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुए नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामान्तरकरण से संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है। हस्तगत नामान्तरकरण के संबंध में मृतक खातेदार किशनसिंह पिता अजेसिंह राजपूत के विधिक वारिसान के नाम पर दर्ज किया जाना अपेक्षित है।

प्रकरण में मृतक खातेदार किशनसिंह पिता अजेसिंह राजपूत का विरासतन नामान्तरकरण दायर किया गया है, जिसमें मृतक खातेदार किशनसिंह राजपूत के फौत जो जाने से उनके के विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दायर किया गया, किन्तु हल्का पटवारी सुवानिया द्वारा वक्त नामान्तरकरण दायर मृतक मृतक खातेदार के विधिक वारिसान जो कि प्रकरण में अपीलार्थीगण है, किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके नाम सही-सही अंकित नहीं कर त्रुटि पूर्ण नाम अंकित कर दिया गया है। मृतक खातेदार की जांच किये जाने के पश्चात् मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दायर किया जाना विधि द्वारा प्रावधित है, किन्तु हल्का पटवारी सुवानिया द्वारा मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के सही-सही नाम पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जाना प्रतिवेदित होता है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगरार द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करते समय विधि के उपाबंधों की पालना नहीं किया जाना प्रतिवेदित होता है, अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासतन नामान्तरकरण की श्रेणी का होकर उक्त नामान्तरकरण में खातेदार के फौत होने का विषय महत्वपूर्ण है एवं खातेदार के फौत हो जाने से मृतक खातेदार के सही-सही विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दायर किया जाना विधि द्वारा प्रावधित है। अपीलार्थीगण मृतक खातेदार किशनसिंह पिता अजेसिंह राजपूत के विधिक वारिसान है, जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगरार उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 105 निर्णय दिनांक 03.05.1993 का निर्णित किये जाने के संबंध में त्रुटि कारित गई है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 105 निर्णय दिनांक 03.05.1993 के निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगरार द्वारा त्रुटि कारित जाना परिलक्षित होता है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन मौजा डेट पटवार हल्का सुवानिया तहसील गंगरार का नामान्तरकरण 105 निर्णय दिनांक 03.05.1993 को निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार किशनसिंह पिता अजेसिंह राजपूत के विधिक वारिसानों के सही-सही नाम पर दर्ज किये जाने हेतु नामान्तरकरण तहसीलदार गंगरार को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाना न्यायोचित है।



अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार जाकर अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा मौजा डेट पटवार हल्का सुवानिया तहसील गंगरार के नामान्तरकरण संख्या 105 निर्णय दिनांक 03.05.1993 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार गंगरार को प्रतिप्रेषित (Rimand) कर निर्देशित किया जाता है उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार मृतक खातेदार किशनसिंह पिता अजेसिंह राजपूत के विधिक वारिसान के सही-सही नाम पर नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगरार को सूचनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 13.04.2026 को कैम्प कोर्ट गंगरार में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(विनोद कुमार मल्हौत्रा)  
अतिरिक्त कलक्टर,  
रावतभाटा